रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 2002/चैत्र 25, 1924

No. 176] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 15, 2002/CHAITRA 25, 1924

## पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2002

सा.का. नि. 285(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (i) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहर लाल नेहरू पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज सहायता) संशोधन विनियम, 2002 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

## अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी मंडल निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. इस विनियमावली का नाम नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज सहायता-संशोधन)-1 विनियमावली, 2002 होगा।
2. यह केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।
3. विनियम 3 में उपबंध (ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

   "(ii) मान्य वित्तीय संस्थान का अर्थ है कि कोई राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, एच डी एफ सी, सामान्य बीमा निगम।
4. विनियम 7 के उप-विनियम (1) में "5,00,000" के स्थान पर "7,50,000" पढ़ा जाए।
5. विनियम 7 के उप-विनियम (2) में—

   (i) उपबंध (ख) में "60%", तथा

   (ii) उपबंध (ग) में "70%" के स्थान पर "75%" पढ़ा जाए।
6. विनियम 8 में "8,00,000" के स्थान पर "18,00,000" पढ़ा जाए।

[फा. सं. पी.आर.-12016/23/2001-पी.ई-1]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियमावली भारत के राजपत्र में दि. 30 सितम्बर, 1996 के सा.का.नि. 446(ई) द्वारा प्रकाशित हुई थी।

## MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2002

**G.S.R. 285(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Interest Subsidy on House Building Advance) 1st Amendment Regulations 2002 made by the Board of Trustees of Port of Jawaharlal Nehru Port as set out in the schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

### SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), The Board of Trustees of Jawaharlal Nehru Port hereby makes the following regulations, namely :

1. These regulations may be called the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Interest subsidy on House Building Advance)- 1st Amendment Regulations, 2002.

2. They shall be applicable from the date of publication of approval of the Central Government in the Gazette of India.

3. In regulation 3, clause (ii) shall be substituted as follows :

"(ii) Approved Financial Institution shall mean a Nationalised Bank LIC, HDFC and GIC.

4. in clause (ii) of regulation 4, the word "be" may be deleted.

5. in clause (1) of regulation 6, the word "owner" may be replaced by the word "owned"

6. in sub regulation (1) of regulation 7 for figure "5,00,000" read "7,50,000".

7. in sub regulation (2) of regulation 7,

(i) in clause (b) for the figure "60%" read "65%".

(ii) In clause (c) for the figure "70%" read "75%".

8. in regulation 8, for figure "8,00,000" read "18,00,000".

[F. No. PR-12016/23/2001-PE-1]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

**Foot Note :** The principal regulations were published in the Gazette of India vide GSR 446(E), dated 30th September, 1996.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.